



प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लि०

की

उप-विधियाँ

समिति का नाम वेल्हडिका

प्रा० कृ० म० समिति लि०

पुनर्गठन-२००३

निर्वाचन संख्या ३२२०लि०

दिनांक ०१/११/२००३

सहकारिता कृषि विभाग
गन्ना

प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लि. की उपविधियाँ

1. नाम और पता - यह सोसाइटी जिसकी रजिस्ट्री बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन 1935 ई. के ऐक्ट 6) के अन्तर्गत हुई है

..... प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लिमिटेड कहलायेगी और इसका रजिस्टर्ड पता पो.ओ. जिला होगा।

अगर इसके रजिस्टर्ड पता में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा तो इसकी सूचना 15 दिनों के भीतर निबन्धक, सहयोग समितियाँ, बिहार को-ऑपरेटिव फ्रेंडरेशन लिमिटेड, पटना, संबद्ध व्यापार मंडल लिमिटेड और वित्त दाता बैंक को दे दी जायेगी।

2. उद्देश्य- इस सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

- (1) सदस्यों में मितव्ययिता, अपनी मदद आप करने और एक दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिये आवश्यक योजनायें बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।
- (2) उन्नत ढंग की खेती करने के लिये सदस्यों को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिये आवश्यक साधनों को जुटाना।
- (3) सदस्यों के बीच सहकारी संयुक्त खेती को बढ़ावा।
- (4) सदस्यों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देना।
- (5) निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्दर सदस्यों को उपभोग ऋण देना।
- (6) सदस्यों को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, उर्दरक, यंत्र हल, कीटाणुनाशक औषधियाँ इत्यादि एवं ग्राम उद्योग तथा कुटीर उद्योग और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं तथा साधनों को प्राप्त करना तथा वितरण करना।
- (7) ग्राम उद्योग या गृह उद्योग के आधार पर सदस्यों के ग्राम औद्योगिक कार्यों को संगठित करना अथवा सहायता देना।
- (8) सदस्यों की खेती का उत्पादन योजना तैयार करना और उसको उचित रूप में कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
- (9) सदस्यों की पैदावार तथा अन्य सामग्री के पणन की व्यवस्था तथा उनको सुरक्षित रखने के लिये निजी गोदाम प्राप्त करना, बनवाना या किराये पर लेना।
- (10) उन्नतशील बीज का उत्पादन बढ़ाने के लिये सदस्यों को आवश्यक सहायता देना।
- (11) समिति के कार्यक्षेत्र में कम्पोस्ट तथा हरी खाद बनवाने का अलग-अलग सामूहिक प्रबन्ध करना।

- (12) सदस्यों को आवश्यकतानुसार उन्हें कृषि यंत्र आदि किराये पर देने के लिए व्यवस्था करना।
- (13) उन्नतशील साँड़, बकरी, मुर्गी आदि द्वारा सदस्यों के पशुओं की नश्ल सुधारने की व्यवस्था करना।
- (14) किसी भी सहकारी संस्था तथा अन्य संस्थाओं के उप-एजेंट के रूप में अथवा अन्य प्रकार से बीज वितरण और उसकी वसूली का कार्य करना।
- (15) सदस्यों द्वारा पैदा की गयी ईख को बेचने की व्यवस्था करना।
- (16) धान से चावल निकालने का हालर, आटा चक्की, तेलघानी, घनियाँ आदि प्रक्रियायंत्र तथा ट्रैक्टर, यंत्रित हाल, पम्प आदि सदस्यों के लाभार्थ स्वयं खरीदना अथवा किराये पर लेना।
- (17) कृषि, हस्तशिल्प, बुनकर एवं ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक तकनीकी ज्ञान का प्रसारण तथा सदस्यों द्वारा उन्हें अपनाने का प्रोत्साहन देना।
- (18) सदस्यों के तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रबन्ध में सहायता करना तथा सदस्यों के लिये मनोरंजन की व्यवस्था करना।
- (19) सदस्यों के तथा उनके परिवार के शैक्षिक व्यवस्था की स्थापना एवं कायम रखने में मदद करना।
- (20) सदस्यों के हित को प्रभावित करने वाली समस्त समस्याओं को सहकारी रीति द्वारा निबटाना तथा लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के लिये प्रयत्न करना।
- (21) ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न प्रकार से पूंजी इकट्ठा करना।
 - (1) केन्द्रीय सहकारिता आँकड़ों, पंचायत बैंक, अन्य वित्तीय पोषण संस्था तथा सरकार से ऋण, अनुदान, अंशदान लेना।
 - (2) अपने सदस्यों, अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकार से पूंजी इकट्ठा करना।
- (22) ऐसे सभी कार्य करना जिनसे लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले।

3. कार्य-क्षेत्र - इस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र -

- पंचायत के (1) वैष्णोपुर
- (2) वैष्णोपुर (3) सतगढ़ (4) शोहर
- (5) मिर्जापुर (6) औरंगापुर (7) शोहर
- (8) औरंगापुर (9) औरंगापुर (10) शोहर

गाँवों में सीमित होगा।

4. सम्बद्धता - इस सोसाइटी का सम्बद्धन केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक, व्यापार मंडल, केन्द्रीय उपभोक्ता मंडल, बिहार सहकारिता संघ एवं अन्य वित्त दाता बैंक तथा संस्थाओं से हो सकेगा और निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार यह अपने वसूल किये हुए हिस्से का निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक, व्यापार मंडल, केन्द्रीय उपभोक्ता मंडल, वित्त दाता बैंक तथा संस्था के हिस्से में लगा सकेगी।

5. **सदस्यता** — (1) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में स्थायी रूप से रहनेवाले प्रत्येक परिवार का एक वयस्क व्यक्ति जिसका चाल-चलन अच्छा हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्रवाला हो जिसका दिमाग ठीक हो, सोसाइटी का सह (एसोसियेट) सदस्य या सदस्य होगा।

(2) **सह-सदस्य** — सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के भीतर पड़नेवाले परिवारों का एक वयस्क व्यक्ति सोसाइटी का सह- सदस्य होगा बशर्ते कि वह एक रुपया का सदस्यता शुल्क चुकायेगा। ऐसे सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा परन्तु कम-से-कम एक हिस्सा खरीदने पर वह निर्वाचन का पात्र होगा।

(3) **सदस्य** — वह व्यक्ति जो सोसाइटी का कम-से-कम एक हिस्सा खरीदे सोसाइटी का सदस्य होगा। उसे सोसाइटी के कर्ज और अन्य विशेष अधिकार प्राप्त करने का हक होगा। उसे सोसाइटी का कोई निर्वाचित पद धारण करने का हक होगा।

(4) राज्य सरकार तथा वित्तीय पोषण संस्थायें (ग्रामिण्य बैंक सहित) भी सोसाइटी के सदस्य हो सकती हैं।

6. **प्रवेश-विधि** — प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबन्ध समिति के पास निर्धारित फार्म पर दरखास्त देंगे। प्रबन्ध समिति जांच पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त को कारण बताते हुए मंजूर अथवा ना मंजूर करेगी और निर्णय होने के एक सप्ताह के अन्दर आवेदक को निर्णय की सूचना दे देगी। नामंजूर की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को निर्णय की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर सहायक निबन्धक, सहयोग समितियों के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। 15 दिनों के अन्दर यदि कोई निर्णय की सूचना आवेदक को नहीं दी जाती है तो यह स्वतः सोसाइटी का सदस्य हो जायेगा।

7. **अयोग्यता** — कोई व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य होने योग्य नहीं होगा यदि —

- (1) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का है।
- (2) वह स्थायी रूप से सोसाइटी के कार्यक्षेत्र से अलग निवास उठा लिया हो।
- (3) वह सोसाइटी का अथवा सम्बद्ध करने वाले सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी है।
- (4) वह पागल है।
- (5) उसने दिवालिया या अनुशोधानाक्षम (insolvent) न्यायनिर्णीत होने के लिये आवेदन दिया है या वह अप्रमाणित दिवालिया या अनुशोधानाक्षम (insolvent) है।
- (6) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिये सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिये सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तर्गस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गयी हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से पाँच वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

8. वह व्यक्ति जो रजिस्ट्री की दरखास्त पर हस्ताक्षर किया है, उसको अलग से निर्धारित फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर वह सोसाइटी का रजिस्ट्री होने की तिथि के 1 महीने के भीतर ऐसे फार्म पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे तो उसे सदस्य के रूप में नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि वह निकाले जाने के बाद प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित जुर्माना दे

रकम दे दे तो उसे सदस्यता में पुनः भर्ती किया जा सकता है। राज्य सरकार तथा वित्त पोषण बैंकों के मामलों में यह लागू नहीं होगा।

9. जुर्माना — प्रत्येक सदस्य के लिये यह जरूरी होगा कि जब कभी जरूरत हो अपनी पूंजी और जिम्मेवारी का पूर्ण एवं सही बयान सोसाइटी को दे और यदि ऐसा बयान नहीं दे या कर्ज छिपावे या इस तरह छिपाकर सोसाइटी के कर्ज के लिये दोषी पाया जाय तो उस पर प्रबन्ध समिति द्वारा 50 रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा या सदस्यता से निकाल दिया जा सकेगा।

10. नामजद करना — सोसाइटी का कोई भी सदस्य लिखकर किसी ऐसे व्यक्ति को नामजद (सोसाइटी के कर्मचारी या अफसर को छोड़कर) कर सकता है जिससे उसे मृत्यु के पश्चात् सोसाइटी से पावना दिया जा सके।

11. सदस्यता से हटना — कोई भी सदस्य जिसके जिम्मे सोसाइटी का कोई कर्ज न हो और जो एक साल तक सदस्य रह चुका हो प्रबन्ध समिति को तीन महीने की सूचना देकर सदस्यता से हट सकता है। परन्तु इस तरह अलग होने से वह उस जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकता है जिसके वह उत्तरदायी हो।

12. सदस्य का निष्कासन — (1) प्रबन्ध समिति अपनी बैठक-पड़ताल के बाद किसी सदस्य को नीचे लिखे कारणों से निलम्बित कर सकती है या हटाने सकती है :-

(क) सोसाइटी के उप-विधियों या नियमों का विशेष रूप से उल्लंघन करने पर।

(ख) नोटिस पाने पर भी समिति का ऋण न देने पर।

(ग) किसी ऐसे व्यवहार पर जिससे सोसाइटी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है या उसकी बदनामी हो सकती है।

(2) प्रबन्ध समिति द्वारा हटाये गये सदस्य को हटाये जाने की आज्ञा प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर तक आम सभा में अपील करने का अधिकार होगा। अपील आग्रामी आम सभा में फैसला के लिये सभापति के द्वारा रखी जायेगी। आम सभा के निर्णय के विरुद्ध सहायक निबन्धक, सहयोग समितियों के पास एक माह के अन्दर रिवीजन किया जा सकेगा।

13. सदस्यता की समाप्ति — नीचे लिखे कारणों से सदस्यता की समाप्ति होगी :-

(1) समिति के कार्यक्षेत्र से अपने घर-बार को हटा-लेने और सदस्यता की योग्यता को खो देने पर ;

(2) उप-विधि के उपबन्ध 11 के अनुसार प्रबन्ध समिति को तीन महीने की सूचना देकर हट जाने पर;

(3) उप-विधि 12 के अनुसार हटाये जाने पर;

(4) मर जाने पर;

(5) किसी अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा पागल करार कर दिये जाने पर;

(6) सोसाइटी का धेतन भोगी कर्मचारी होने पर, या

(7) ऐक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार अयोग्य हो जाने पर

14. कोष — सोसाइटी का कोष निम्नलिखित से इकट्ठा किया जा सकता है :-

(क) हिस्सा पूंजी;

(ख) वित्तपोषण बैंक से कर्ज लेकर और रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, बिहार और राज्य सहकारी अधिकांश के आदेश और निर्देशन के अन्तर्गत जमा लेकर;

(ग) सरकार और दूसरे जरियों से प्राप्त आर्थिक सहायता अनुदान या दान से;

(घ) सुरक्षित कोष एवं अन्य कोष से;

(ङ) सदस्यों से अपनी इच्छा से नगद, सामान या श्रम के रूप में मिले हुए विशेष अनुदान से।

15. कर्ज लेने की सीमा — कर्ज एवं जमा पर सोसाइटी की पूर्ण या देय उसकी दसूख की गई हिस्सा पूंजी एवं सुरक्षित कोष (रिजर्व फंड) के 15 गुने से अधिक नहीं होगी।

16. कोष की अभिरक्षा — निबन्धक, सहयोग समितियाँ, द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन प्रबन्धक के पास सोसाइटी का कोष रहेगा।

17. कोष को काम में लगाना — कारबार में नहीं लगाये गये सोसाइटी के कोष को निम्नलिखित रूप में कारबार में लगाया जा सकता है या जमा किया जा सकता है :-

(क) पोस्टल सेविंग्स बैंक, वित्त पोषण बैंक, केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक में,

(ख) इंडियन ट्रस्ट एंड बैंक की धारा 20 में विशेष रूप से वर्णित किसी भी जमानत में,

(ग) निबन्धक, सहयोग समितियाँ की आज्ञा से किसी अन्य रूप में।

18. हिस्से — (क) सोसाइटी की अधिकृत पूंजी 1,00,000.00 (एक लाख) हिस्सों में होगी। प्रत्येक हिस्सा का मूल्य 10 (दस) रुपये होगा। सदस्य की हिस्से की कीमत प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित रूप से एक मुश्त या किस्तों में देनी पड़ेगी। प्रबन्ध समिति किस्तों को अदा करने के लिये समय की बढ़ती कर सकती है।

(ख) कोई भी सदस्य बेचे गये हिस्से से 1/5 से अधिक अथवा दस हजार रुपया दोनों में से जो कम हो, के हिस्सों को नहीं खरीद सकता है। यह प्रतिबंध राज्य सरकार के लिये नहीं है।

(ग) जिन सदस्यों के जिम्मे हिस्से की किस्तों का रुपया बाकी होगा वे सोसाइटी के किसी पद के लिये निर्वाचन के योग्य नहीं होंगे, उन्हें कर्ज नहीं दिया जायेगा तथा वे खरीद-बिक्री के कार्यों में भाग नहीं ले सकेंगे।

(घ) आम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के लिये उप-विधि 18 के खंड "क" के अनुसार समय नहीं बढ़ाया जायेगा।

19. हिस्से का प्रमाण-पत्र — प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी की मुहर लगा हुआ एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें खरीदे हुए हिस्से का विशेष रूप से वर्णन रहेगा। यदि प्रमाण पत्र खो जाये या फट जाये तो पचास पैसे जुल्क देने पर फिर से प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

20. हिस्सों का हस्तान्तरण — (क) कोई भी सदस्य तबतक अपना हिस्सा हस्तान्तरित नहीं कर सकता है जबतक कि —

(1) वह कम-से-कम ऐसे हिस्से का एक वर्ष तक मालिक न रहा हो तथा

(2) जिस व्यक्ति को हस्तान्तरण करना हो वह प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत न हो।

(ख) उप-विधि के खंड 13 के अन्तर्गत सदस्यता की समाप्ति होने पर सदस्य का हिस्सा या हिस्से का निस्तार बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट (1935 का 6) के 24 वीं धारा तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जायेगा।

21. उत्तरदायित्व — सोसाइटी के कर्जों के लिये सदस्य की जिम्मेदारी उसके अपने हिस्से की नाम से जेहादी मूल्य के दस गुने तक सीमित रहेगी और वह बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट (1935 का 6) की धारा 32 के अनुसार लागू होगी।

22. (1) आम सभा— सोसाइटी का सर्वोच्च अधिकार सदस्यों की आम सभा में निहित होगा। आम सभा तीन प्रकार की होगी।

(क) साधारण (वार्षिक);

(ख) असाधारण;

(ग) विशेष।

(क) साधारण सभा — सहकारी साल के समाप्त होने के महीने के भीतर प्रत्येक वर्ष साधारण वार्षिक आम सभा की बैठक होगी। ऐसी हालत में जबकि वार्षिक आम-सभा के बुलाये जाने की निश्चित तिथि के पहले तब स्टैच्युटरी ऑडिट रिपोर्ट बिलेंस शीट के साथ ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो तो मुनाफ़े की बात छोड़कर साधारण आम सभा के सभी कार्य जैसा कि उप-विधि के खंड 23 में दिया गया है सभा में कर लिये जायेंगे। तब मुनाफ़ा और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर विचार असाधारण आम सभा में जो इसलिए बुलायी जाय या आगामी वार्षिक आम सभा में होगी।

(ख) असाधारण आम सभा — असाधारण आम सभा प्रबन्ध समिति के द्वारा किसी भी समय बुलायी जा सकती है या एक तिहाई सदस्यों के द्वारा आग्रह-पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 1 महीने के भीतर बुलायी जा सकती है।

(ग) विशेष सभा — विशेष आम सभा निबन्धक या उनसे अधिकार प्राप्त अफसरों के द्वारा लिखित आग्रह पत्र देने पर समिति के प्रधान कार्यालय में आग्रह-पत्र पर लिखित स्थान और समय में बुलायी जा सकती है। निबन्धक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की आज्ञा प्राप्ति के 21 दिनों के अन्दर प्रबन्धन विशेष आम सभा बुलाने को बाध्य होंगे। यदि प्रबन्धक विशेष आम सभा नहीं बुलावे तो निबन्धक अथवा अधिकृत व्यक्ति सदस्यों को 15 दिनों की सूचना देकर खुद सभा बुला सकते हैं। ऐसी विशेष आम सभा को आम सभा के अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) कोरम - कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या आम सभाओं के लिए कोरम की संख्या होगी। यदि सभा असाधारण आम सभा रहे जो सोसाइटी के एक तिहाई सदस्यों की मांग पर बुलाई गयी हो और कोरम की संख्या निश्चित समय से एक घंटा के अन्दर पूरी न हो सके तो सभापति उसे विघटित कर देंगे। यदि यह एक साधारण आम सभा या विशेष आम सभा है तो वह उसे कम-से-कम 7 दिन और अधिक-से-अधिक 21 दिनों तक स्थगित कर देंगे। इस प्रकार की स्थगित सभाओं के सभी कार्यक्रम वे ही रहेंगे जो पहली सभा के होंगे और उनमें कुछ हेर-फेर नहीं किया जायेगा। अगर इस प्रकार की स्थगित सभा में भी कोरम की संख्या पूरी न हो तो कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई संख्या से पास होगा।

(3) मताधिकार - सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट होगा। दूसरे के लिये वोट देने का अधिकार नहीं होगा। दोनों पक्षों में बराबर वोट हो जाने की अवस्था में सभापति को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। सभी प्रश्नों के निर्णय के लिये बहुमत मान्य होगा।

(4) आम सभा के लिये सूचना - किसी भी आम सभा के लिये 15 दिनों की सूचना दी जायगी। सूचना पत्र में सभा का समय और स्थान साफ तौर से लिखा रहेगा।

23. साधारण आम सभाओं के कार्य - आम सभा सोसाइटी के कारबार के ऊपर और विशेष रूप से प्रबन्ध समिति के कार्यों पर निगरानी रखेगी और समिति के हक में फायदेमन्द होने वाले सभी कामों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

आम सभा के नीचे लिखे कार्य होंगे:

(1) सभा के लिए सभापति चुनना;

(2) उप-विधि के खंड 25 के अनुसार सभापति को लेकर प्रबन्ध समिति के 12 सदस्यों को चुनना जो पाँच साल तक के लिये पद पर रहेंगे। वह चुनाव इस सम्बन्ध में निबन्धक द्वारा निर्धारित नियमों या परिपत्रों के अनुसार ही होगा। आम सभा द्वारा सर्वप्रथम प्रथम प्रबन्ध समिति के लिये 12 सदस्यों का चुनाव किया जायगा अथवा इस प्रकार चुने गये 12 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को पुनः आम सभा द्वारा प्रबन्ध समिति के रूप में चुना जायगा।

(3) वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रबन्ध समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।

(4) ऐक्ट, नियमों और इन उप-विधियों के अनुसार नफा के बँटवारे पर विचार करना;

(5) सोसाइटी की तरफ से प्रबन्ध समिति द्वारा अधिक-से-अधिक उत्तरदायित्व करने की सीमा निश्चित करना;

(6) प्रबन्ध समिति द्वारा तैयार किये गये वार्षिक आय-व्यय के चिट्ठों को मंजूर करना।

(7) सदस्यों को एडवांस के रूप में दिये जाने वाले कर्ज पर सूद की दर निश्चित करना।

(8) जमा पर सूद की दर ठीक करना।

(9) बकायों पर दंड की दर निश्चित करना।

(10) उप-विधि के खंड 59 के अन्तर्गत उप-विधियों का संशोधन करना।

(11) भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये समितियाँ बनाना।

(12) सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक, या अन्य समितियों में जिससे वह संबद्ध हो उससे भेजने के लिये प्रतिनिधि का चुनाव करना।

(13) किसी सदस्य द्वारा प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायत किये जाने पर उस पर विचार करना।

(14) सभा चेयरमैन से आज्ञा लेकर अन्य कार्य को करना।

24. आम सभा की कार्यवाहियाँ :- सोसाइटी के पास कार्यवाही पुस्तिका रहेगी जिसमें सभी आम सभाओं की कार्यवाहियों को लिखा जायगा। कार्यवाही पुस्तिका में उपस्थित सदस्यों तथा दूसरे उपस्थित व्यक्तियों के नाम रहेंगे और उस पर सभा के चेयरमैन का हस्ताक्षर रहेगा।

25. प्रबन्ध समिति - (1) प्रबन्ध समिति सोसाइटी की ठीक व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगी।

(2) सभापति और प्रबन्धक को मिलकर प्रबन्ध समिति में 13 सदस्य होंगे जिसमें सभापति को मिलाकर कुल 12 सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होगा। समिति के प्रबन्धक प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। चुने गये 12 सदस्यों में से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के दो सदस्य, पिछड़ा वर्ग/पिछड़ी जाति पिछड़े वर्ग के दो सदस्य तथा दो महिला को लिया जायेगा। यदि चुनाव के समय ऐसा पाया जायेगा कि उपर्युक्त कोटि के कोई भी सदस्य का चुनाव नहीं हो रहा है अथवा कुछ हद तक सदस्य का चुनाव नहीं हो रहा है तब सभी छः जगह अथवा जिस हद तक आरक्षित कोटि का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है उस हद तक सदस्य का स्थान रिक्त रहेगा जिसकी पूर्ति प्रबन्ध समिति द्वारा सहयोग (Co-option) द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ की श्रेणी से न्यून नहीं होगा, को भी अधिकार होगा कि यदि कोटि के सदस्यों की संख्या कम हो तो अपने स्तर से इनका मनोनयन उस हद तक करेंगे जितना इनकी संख्या को पूरा करने के लिये आवश्यक होगा।

(3) प्रबन्ध समिति किसी कारणवश चुने गये सदस्यों एवं ऊपर (खंड 2) के अनुसार सहयोजित (Co-opted) सदस्य की जगह खाली रहने पर प्रबन्ध समिति द्वारा बची हुई अवधि अथवा अगली आम सभा जब चुनाव/सहयोजन द्वारा रिक्त स्थान को भरा जायेगा जो भी पहले हो तक के लिये सहयोजन द्वारा भरा जायेगा। प्रबन्ध समिति के सभापति के स्थान किसी कारणवश रिक्त होने पर प्रबन्ध समिति चुने गये सदस्यों में से किसी एक को बची हुई अवधि के लिये अथवा अगले आम सभा में जब सभापति का चुनाव होगा जो भी पहले हो तक के लिये प्रबन्ध समिति का सभापति चुनेंगे।

(4) सोसाइटी की प्रथम प्रबन्ध समिति का मनोनयन निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा एक वर्ष अथवा चुनाव होने तक जो भी पहले हो के लिये किया जायेगा।

26. (क) यदि प्रबन्ध समिति का सदस्य समिति की सदस्यता से हट जाये अथवा लगातार तीन सभाओं में उपस्थित न हो, तो समिति आगामी आम चुनाव तक के लिये सदस्यों

के बीच से वैसे सदस्य के बदले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लेगी परन्तु ऐसे में उप-विधि के खंड 25 (2) का उल्लंघन नहीं होगा।

(ख) कोई व्यक्ति प्रबन्ध समिति का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि :-

(1) वह सोसाइटी का सदस्य नहीं है, अथवा
(2) वह व्यक्ति नामांकन भरने की तिथि को, उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसायटी के किसी बकाये के सम्बन्ध में सोसायटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा

(3) उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सोसाइटी के साथ चालू ठीका या सोसाइटी द्वारा बेची या खरीदी जाने वाली किसी जायदाद या किसी लेन-देन में समिति में धन लगाने या उससे कर्ज लेने को छोड़कर हित हो, अथवा

(4) उसके विरुद्ध अधिभार (सरचार्ज) या सोसाइटी के किसी लेन-देन सम्बन्धी ज़ाबत लंबित हो।

(5) उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसायटी के किसी व्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो।

(ग) प्रबन्ध समिति के सदस्य समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे, यदि :-

(1) वे सोसाइटी के सदस्य नहीं रह पाए हों, अथवा
(2) उनमें उप-विधि के खंड 7 एवं 28 (ख) में दी गयी अयोग्यता में से कोई भी अयोग्यता आ जाय, अथवा

(3) यदि वह एक वर्ष से अधिक काल के लिए सोसायटी के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी हो, जब तक सोसायटी का बकाया राशि सूद सहित उनके द्वारा जमा नहीं किया जाता है।

27. प्रबन्ध समिति की बैठक - प्रबन्ध समिति की बैठक जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हो सकती है परन्तु महीने में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी। सात सदस्यों का कोरम होगा, प्रबन्धक समिति की सभा बुलायेंगे और यदि वे नहीं बुलायेंगे तो सभापति को समिति की बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

28. सभापति का कृत्य एवं शक्तियाँ - सभापति का सोसाइटी के सभी कार्यों पर सारण नियन्त्रण रहेगा। वे सभी सभाओं की अध्यक्षता करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सभा की कार्यवाही ठीक-ठीक लिखी गयी है। सोसाइटी के प्रशासन की जिम्मेदारी उन पर होगी। वे प्रबन्धक के साथ हिस्से के प्रमाण-पत्रों (शेयर-सर्टिफिकेट) पर हस्ताक्षर करेंगे। सभापति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य प्रबन्ध समिति की सभाओं में सभापति का काम करेंगे।

29. प्रबन्ध समिति में सभी बातें बहुमत से निश्चित की जायगी। सभापति के पद पर रहने वाले व्यक्ति के दोनों पक्षों को बराबर वोट होने की अवस्था में एक निर्णायक वोट देने का

अधिकार होगा। कोई उस काम के लिये वोट नहीं दे सकता है जिस काम से उसका अपना सम्बन्ध है।

30. प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य — प्रबन्ध समिति के नीचे लिखे कार्य होंगे :-

- (1) हिस्सा की मंजूरी के लिये दी गयी दरखास्त पर विचार करना;
- (2) बुरे और ऋणी सदस्यों के हटाये जाने के प्रश्न पर विचार करना;
- (3) समिति का वार्षिक बजट पास करना;
- (4) सदस्यों के इस्तीफे पर विचार करना;
- (5) कानून, नियमों और इन उपविधियों के अनुसार विगत सदस्यों की हिस्सा पूंजी के वापस करने पर विचार करना;
- (6) प्रत्येक सदस्य की हैसियत का विवरण तैयार करवाना और समय-समय पर सत्यापित करना;
- (7) सदस्यों को दिये जानेवाले ऋण की सीमा का मापदण्ड निश्चित करना;
- (8) फसलों के खेतों का क्षेत्रफल निर्धारित करना जिसे सोसाइटी द्वारा बेचे जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है और फसलों के आधार पर सदस्यों से ऋण देने की सीमा की नीति निश्चित करना;
- (9) सदस्यों के फसलों की खोज-खबर लेना और उपज का अनुमान लगाना जिसे वे सोसाइटी के द्वारा बेचेंगे;
- (10) सोसाइटी द्वारा बेचे जानेवाले सदस्यों को पैदावार को अफाई, वर्गीकरण खरीद, बोराबन्दी और यातायात का प्रबन्ध करना;
- (11) इन उप-विधियों के अनुसार सदस्यों को पैदावार पर एडवान्स देना;
- (12) औजारों और मशीनों के खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबन्ध करना और उर्वरक, बीज और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति करना;
- (13) पैदावार को ठीक से इकट्ठा करने का प्रबन्ध करना और व्यापारिक सूचनाओं का प्रसार करना;
- (14) सदस्यों की पैदावार को बेचने के लिये उनसे ली जानेवाली कमीशन की दर और अन्य चीजों का आम सभा की राय से निश्चित करना;
- (15) सोसाइटी की तरफ से प्राप्त या चुकाये गये सभी रूप में स्टोर्स, स्टार्को और जायदादों को प्राप्ति तथा उनकी खपत का प्रबन्ध करना;
- (16) सदस्यों से ऋण के लिये दरखास्त लेना और सदस्यों की उचित आवश्यकता एवं जिस उद्देश्य के लिये ऋण लिया जा रहा है उसकी साख योग्यता को देखते हुए उसे मंजूर करना;
- (17) सदस्यों द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने के लिये किरत निश्चित करना;

(18) सोसाइटी द्वारा दिये गये सभी प्रकार के ऋण एवं सोसाइटी का अन्य देय राशि बकाया वसूली करना। उप-विधि 34 के खंड 14 के अनुसार प्रबन्धक से प्राप्त प्रतिवेदन अथवा अन्य कोई स्रोत से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि सदस्य को दिया गया ऋण उक्त वांछित तरीके से अदा नहीं हो रहा है तो ऋण अदा करने की तिथि पूरी होने से पहले ही इसकी वसूली करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना;

(19) निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार ऋणी सदस्यों द्वारा उत्पादित कृषि पैदावार का विपणन ऐसे पणन सोसाइटी जिससे सोसाइटी सम्बद्ध हो के माध्यम से करने हेतु ऋणी सदस्य से आवश्यक एकरारनामा प्राप्त करने तथा आवश्यकतानुसार पड़ने पर ऋणी सदस्य के कृषि पैदावार को सोसाइटी के माध्यम से अथवा ऋणी सदस्य द्वारा पणन समिति के साथ दिलाना;

(20) सोसाइटी के कारबार के सम्बन्ध में समिति के पदाधिकारियों द्वारा या विरोध में लगाये गये सभी दावा या वैध कार्यवाहियों को कानूनी रूप देना, आगे बढ़ाना, सुलह करना या हल करना;

(21) को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों, वित्त पोषक बैंक के अधिकारियों, व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारियों के इन्सपेक्शन और ऑडिट नोट पर विचार करना;

(22) कारबार सम्बन्धी नियमों को बनाना। अगर समिति, निबंधक, सहयोग समितियों के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कारबार सम्बन्धी नियम बनाने से चूक जाती है तो निबंधक स्वयं नियम बनाकर देगा जो समिति को मानना होगा, तथा

(23) साधारण समिति के कारबार को करना।

31. सोसाइटी के कारबार में प्रबन्ध समिति साधारण व्यापारी की तरह दूरदर्शिता और उत्तरदायित्व से काम लेगी। को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, उनके अन्तर्गत बने नियम और इन उप-विधियों के विपरीत किये गये किसी भी कार्य के लिये जिससे नुकसान हो, समिति दायर होगी।

32. समिति की सीमाओं की कार्यवाही पुस्तिका सभा में किये गये समस्त कार्य-प्रबन्धक के पास रहनेवाली कार्यवाही पुस्तिका में लिखे जायेंगे और उसपर सभापति से लेकर सभा के उपस्थित समिति के सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। रुपये से सम्बन्ध रखनेवाले सभी कार्यों के प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में पड़नेवाले प्रत्येक सदस्य का मत लिखा जायेगा।

33. Deleted

34. प्रबन्धक के कृत्य एवं शक्तियाँ — प्रबन्ध समिति के सामान्य निदेशन एवं पर्यवेक्षण तथा सभापति के नियंत्रण के अन्तर्गत प्रबन्धक के कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी :-

- (1) प्रबन्ध समिति एवं आम सभा की बैठकों को बुलाना और ऐसी बैठकों की कार्यवाही अंकित करना।
- (2) सोसाइटी के सभी कागजात, पूंजी (नगद रोकड़ और स्टॉक) एवं जायदाद जिस पर सोसाइटी का अधिकार रहेगा उसकी जिम्मेवारी एवं अभिरक्षा करना।
- (3) निबंधक द्वारा दर्शाये गये तर्कों तथा तरीकों के अनुसार समिति के एवज में भुगतान, ऋण प्राप्ति एवं ऋण वितरण करना।
- (4) निबंधक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में विहित खाता एवं लेखा-जोखा रखना।
- (5) समिति के कार्यों से सम्बन्धित सभी रसीद, बैलेंस शीट या अन्य आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करना और सभी भाउचर पास करना।
- (6) निबंधक द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार वांछित प्रतिवेदन तैयार करना, ऋण वितरण करना, साथ ही सीमा निर्धारण तथा उसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक औपचारिकता को पूरा करना।
- (7) विभिन्न प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ निबंधक तथा बैंक को यथा समय समर्पित करना।
- (8) सोसाइटी के सभी पत्राचार तथा सदस्यों को सभी आवश्यक सूचनाएँ देना।
- (9) प्रबन्ध समिति के विचारार्थ मासिक आय-व्यय का व्योरा-अर्केक्षन प्रतिवेदन निरीक्षण प्रतिवेदन इत्यादि ठीक समय पर प्रस्तुत करना और उनके अनुपालन के लिये आवश्यक कार्रवाई करना।
- (10) समय-समय पर निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत निदेशों तथा प्रबन्ध समिति के नियंत्रण एवं निदेशानुसार बैंक में खाता चालू करना, खरीद-बिक्री करना, बंधक रखना, तथा समिति की जायदाद जिसमें समिति का स्वार्थ निहित है का हक कायम करना, चेक पर अकेले या संयुक्त हस्ताक्षर एवं पृथक्करण करना तथा समिति के कार्यकलाप से सम्बन्धित अन्य व्यावसायिक कागजातों पर हस्ताक्षर करना। सोसाइटी का लेखा, प्रबन्धक एवं संभाषित अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।
- (11) प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार निर्धारित सीमा में आकस्मिक व्यय करना।
- (12) सदस्यता एवं सोसाइटी के जमा में वृद्धि हेतु क्षेत्र का भ्रमण करना तथा आवश्यक कदम उठाना तथा सदस्यों को समय पर कृषि कार्य, अन्य कृषि विकास कार्यों एवं अन्य प्रयोजन के लिये सहायता की उपलब्धि सुनिश्चित करना।

- (13) मालगुजारी रसीद एवं अन्य कागजातों के आधार पर सदस्य की याचना पर हक ज़ांच करना, आवश्यकता पड़ने पर निबन्धन कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयों से इन सम्बन्ध में छानबीन करना।
- (14) ऋण की सही उपयोगिता सुनिश्चित करना, कृषक सदस्यों के क्षेत्र में समय-समय पर भ्रमण एवं निरीक्षण करना, कर्ज वसूली करना तथा कर्ज वसूली हेतु बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना। सदस्य द्वारा लिया गया ऋण को उचित तरीके से उपयोग नहीं होने पर अविलम्ब प्रबन्ध समिति को सूचित करना।
- (15) अधिनियम, नियम एवं उप-विधियों में निहित उपबन्धों का ठीक तरह से पालन करना।
- (16) सोसाइटी के ऋण वितरण एवं उसके विकास पक्ष से सम्बन्धित कार्यों तथा ऋण आपूर्ति करनेवाले बैंक एवं निबन्धक, सहयोग समितियाँ द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों द्वारा विहित कार्यों को करना।
- (17) सोसाइटी के सब तरह का विकास के लिये प्रस्ताव करना परन्तु जहाँ बैंक तथा प्रबन्ध समिति के आदेशों निदेशों में भ्रम पड़ता हो वहाँ निबन्धक, सहयोग समितियाँ का आदेश एवं निदेश अंतिम होगा।

35. रोकड़ का रखना — सोसाइटी के प्रबन्धक अधिक-से-अधिक 1,000 (एक हजार) रुपये रोकड़ के रूप में सोसाइटी के ग्रीम कोष में रख सकता है। इससे अधिक राशि को अविलम्ब केन्द्रीय सहकारी बैंक या रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत बैंक या डाकघर में जमा कर देना अनिवार्य होगा।

36. रोकड़ की सीमा — सोसाइटी के कैश इन हैंड एवं कैश इन ट्रान्जिट की सीमा की रकम प्रबन्ध समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित करेगी। इसके लिये निम्न एक समय-समय पर निदेश दे सकेंगे।

37. प्रबन्धक की प्रतिभूति — प्रबन्धक को नगद 500 (पांच सौ) रुपया की प्रतिभूति एवं एक व्यक्ति से उपरोक्त रकम की जमानत देना अनिवार्य होगा जो नियुक्ति के समय ही देने पड़ेगी।

38. कर्ज का विवरण और वसूली — कृषि उत्पादन अथवा गृह उद्योगों के लिये कर्ज दिया जायगा। अगर कर्ज वर्णित काम में नहीं लगाया जाता है तो प्रबन्ध समिति संपूर्ण कर्ज को वापस ले सकते हैं। कर्ज केवल संयुक्त परिवार के कर्ता को ही दिया जायगा। निबन्धक के अनुदेश प्राप्त होने पर उपभोक्ता ऋण (consumption loan) उनके द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दिया जायगा।

39. कर्ज देने के समय निबन्धक, सहयोग समितियाँ, बिहार या बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक या अन्य वित्तपोषण बैंक के द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन किया जायगा।

40. निबन्धक या बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक या अन्य वित्तपोषण बैंक द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार आम सभा के द्वारा सदस्यों द्वारा लिया गया कर्ज पर सूद की दर निश्चित की जायेगी। सूद का हिसाब प्रति वर्ष एक बार दिया जायगा।

41. प्रबन्ध समिति विशेष अवस्थाओं में आम तौर पर जमानतदारों के विचार से किस्त देने की अवधि को बढ़ा सकती है।

42. आम सभा उन सभी किस्तों पर जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, दंडनीय सूद की दर लगाने की अनुमति दे सकती है बशर्ते दण्ड व्याज की दर 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

43. अगर कोई सदस्य समिति से अलग कर दिया जाय या निकाल दिया जाय तो उसे कर्ज की शर्त पर ध्यान दिये बिना ही समिति का कुल बकाया चुका देना होगा।

44. बिक्री - प्रबन्ध समिति सदस्यों की खेती की पैदावार (ईख सहित) तथा अन्य तैयार माल की पूर्ण खरीद (आउट राईट परचेज सिस्टम) कमीशन के आधार पर विक्रय (सेल और कमीशन) गिरवी पद्धति (प्लेजिंग सिस्टम) तथा अन्य तरीकों से बेचने का प्रबन्ध कर सकती है।

45. किसी सदस्य को पैदावार बेचने से जो कीमत वसूल होगी उनमें से सोसाइटी उन रकमों को काट लेगी जो उसे मिलना उचित है।

46. खरीद और बिक्री - सभी बिक्री केवल नगद में होगी और गैर-सदस्य के हाथ नहीं हो सकती है।

47. वस्तुओं के गुण या कीमत के लिये या सोसाइटी के पदाधिकारी के आचरण के विरुद्ध की गयी सभी शिकायतें प्रबन्ध समिति के सदस्यों के सामने पेश की जायगी।

48. निश्चित जमा (फिक्स्ड डिपोजिट) और कर्जा-सोसाइटी रजिस्ट्रार या बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा समय-समय पर दनाये गये नियमों के अनुसार साधारण आम-सभा द्वारा निश्चित की गयी सूची के अनुसार फिक्स्ड और सेविंग्स बैंक डिपोजिटस ले सकती है।

49. खाता बही और लेखा-(1) सोसाइटी के द्वारा निम्नलिखित खाता-बही और लेखा-रखी जायगी :-

(क) हिस्सा खरीदने वाले सदस्यों की खाता-बही

(ख) कार्यवाही पुस्तिका

(ग) कैश-बुक (दो प्रतियों में)

(घ) कर्जा बही (दो प्रतियों में)

(च) जमा बही।

(छ) सदस्यों की हैसियत बही।

(ज) निबन्धक या बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा समय समय पर विहित की गयी कोई अन्य बही।

2. कैशबुक तथा कर्जा बही की एक-एक प्रति संबंधित केन्द्रीय सहकारिता अधिकोष शाखा में रखी जायेगी। अधिकोष/ ब्रॉच में रखी गयी प्रति एवं समिति में रखी गयी प्रति प्रविष्टियों का मिलान सोसाइटी द्वारा प्रत्येक तीन महीना में किया जायेगा।

50. सोसाइटी की बहियों केवल जमा (डिपोजिट) बही को छोड़कर सदस्यों को देखने

के लिये उपलब्ध हो सकेंगी, वशर्त की सदस्य केवल अपने नाम की जमा को जमा वही में भी देख सकते हैं।

51. उन सभी कागजातों पर जिनमें सोसाइटी पर लगाये गये चार्जों और प्रतिबन्धों का वर्णन रहेगा, सभापति और प्रबन्धक या प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, प्रबन्धक और सभापति या प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत सदस्य चेकों और पे-ऑर्डरों पर हस्ताक्षर करने के लिये योग्य होंगे।

52. सोसाइटी की मुहर - सोसाइटी के पास एक आम मुहर होगी जो प्रबन्धक की देख-रेख में रहेगी।

53. सोसाइटी का लाभान्श, बोनस आदि - प्रतिवर्ष 31 मार्च को सोसाइटी का वार्षिक वर्ष समाप्त होगा और शुद्ध लाभ में से जो आडिट के द्वारा प्रमाणित होगा 35 प्रतिशत रक्षित कोष (रिजर्व फंड) में तथा निबंधक द्वारा नियत परिणाम के बकाये कोष (वैक डेट फंड) में देने के बाद जो बचेगा वह निम्नलिखित प्रकार बांटा जायगा :-

(क) लाभान्श जो 6 प्रतिशत से अधिक न होगा, अधिक हिस्सों में चुकाये गये मूल्य पर दिया जायगा।

(ख) सदस्यों द्वारा सोसाइटी से लिये गये वस्तुओं पर सूद में सोसाइटी द्वारा खरीदे गये माल की कीमत में तथा समिति द्वारा लिये गये माल की कीमत पर दी जाने वाली प्रीमियम में छूट अथवा प्रीमियम जो घोषित की जायेगी तब तक सदस्य को नहीं मिल सकेगी जब तक कि उनके जिम्मे पड़े हुए कुछ पायान्त न हो। यह रकम उसके बकाया में गिनना भी जायेगी।

(ग) बचे हुए रुपये का अधिकतम से अधिक 13 प्रतिशत साधारण भत्ता के कोष में।

(घ) अगर शेष बचेगा तो यह अगले वर्ष के लिये रख दिया जायगा।

54. (1) हिस्से पर लाभान्श, रिबेट या प्रीमियम आदि 1 वर्ष के भीतर समिति से नहीं ले लिये जाते हैं तो वे सदस्यों के खाते में जमा कर दिये जायेंगे।

55. रक्षित कोष (रिजर्व फंड) - (1) रक्षित कोष (रिजर्व फंड) इन सबों को मिलाकर बनेगा:-

(क) ऐक्ट के अधीन प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत रक्षित कोष (रिजर्व फंड) में जायेगा।

(ख) लाभ से या किसी अन्य प्रकार के फंड में जाने वाले रकम से

(ग) सोसाइटी की रजिस्ट्री की तारीख से 3 वर्षों के भीतर तक प्रारम्भिक खर्चों को कट कर सभी प्रवेश शुल्क से।

(घ) सोसाइटी के द्वारा जप्त किये गये हिस्सों के मूल्य से।

(2) रक्षित कोष (रिजर्व फंड) सोसाइटी का होगा अगर सदस्यों में बाँटा नहीं जायेगा।

(3) रक्षित कोष (रिजर्व फंड) निम्नलिखित किसी भी कार्य हेतु उपलब्ध हो सकेंगा :-

(क) किसी भी परोक्ष घटना से कारण जो कमी होगी उसे पूरा करने में और उससे जो कमी होगी वह यथाशीघ्र समय पर पूरी कर दी जायेगी।

(ख) सोसाइटी के किसी ऐसे कार्य के हेतु जिसकी पूर्ति अन्य तरह से नहीं हो सकती है उससे जो कमी होगी वह उतनी जल्दी पूरी कर दी जायेगी जितनी जल्द संभव होगा।

(ग) सोसाइटी के किसी कर्ज के हेतु जमानती के काम में

(4) सोसाइटी के विधित्त हो जाने की अवस्था में रक्षित कोष (रिजर्व फंड) उन कामों में लगाया जायेगा जैसा उसी उद्देश्य से बुलायी गयी विशेष सभा के बहुमत से निर्धारित होकर रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत होगा।

56. रक्षित कोष (रिजर्व फंड) — बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन् 1935 ई. का ऐक्ट 6) के अनुसार या तो किसी काम में लगाया जायेगा या जमा किया जायेगा बशर्ते कि रजिस्ट्रार विशेष आज्ञा से समिति के कार्यों में लगाने हेतु सोसाइटी के रक्षित कोष (रिजर्व फंड) के एक विशेष अंग को लगाने की आज्ञा दें।

57. उप-विधियों का संशोधन — कोई भी उप-विधि तब तक बदली या संशोधित नहीं की जा सकती है, जब तक कि —

(क) सदस्यों को इस प्रस्ताव की सूचना आम सभा के बैठक के 15 दिनों पहले तक नहीं दे दी जाती है;

(ख) प्रस्ताव जबतक आम सभा में उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई वोट से पास नहीं हो जाता है; और

(ग) निबन्धक सहयोग समितियाँ, इसे यह संशोधन, परिवर्तन पूर्ण रूप से हटा देने को मंजूर कर लिया जाता है।

58. पंचायत — कोई भी झगड़ा जिसका निर्णय प्रबन्ध समिति या आम सभा के द्वारा नहीं हो सकता है निबन्धक सहयोग समितियों के पास पेश किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

59. कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी 'बैंक' 'बैंकर' अथवा 'बैंकिंग' शब्द के किसी दूसरे व्युत्पन्न का प्रयोग नहीं करेगा।

60. विधटन — असाधारण आम सभा जो किसी उद्देश्य से बुलायी जाय के तीन-चौथाई सदस्यों के द्वारा पास किये गये तथा रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से सोसाइटी विधटित की जा सकती है।

61. अगर ऐक्ट की बनावट या नियमों अथवा उप-विधियों के विषय में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो तो प्रबन्ध समिति इस बात को रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित करेगी जिसका फैसला अन्तिम होगा।

62. उन सभी बातों का निबटारा जो विशेष रूप से नहीं की गयी है, बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन् 1935 ई. का ऐक्ट 6) और उसके अधीन बने नियमों अथवा रजिस्ट्रार के आदेशानुसार होगा।